<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

<u>संख्या- 04/2018/ एम एस-36/38-4-18-23(विविध)/2018</u>

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक- 25 जनवरी, 2018**

विषयः- प्रदेश के जनपदों में मुसहर जाति के परिवारों का सर्वे करने एवं पात्रता के आधार पर उन्हें अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सविव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-20 आयोग/26-3-2018, दिनांक 22 जनवरी, 2018(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के मुसहर जाति बाहुल्य जनपदों यथा- गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर सहित अन्य समस्त जनपदों में निवासरत मुसहर जाति के परिवारों का सर्वे करने एवं उन्हें पात्रता के आधार पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं, उनके परिवारों को अन्त्योदय सूची में शामिल करने/पात्र गृहस्थी कार्ड (राशन कार्ड) निर्गत करने/पेंशन का लाभ व महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अनुमन्य कराने, विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने, पेयजल एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन करते हुए प्रदेश के मुसहर जाति के परिवारों को पात्रता के आधार पर एक माह के अन्दर उपरोक्त अनुमन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने एवं तदनुसार उक्त के आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने के निदेश दिये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2018 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ग्राम्य विकास विभाग के अधीन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा आवासीय योजना, पेयजल, अन्त्योदय मिशन एवं अन्य सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के समस्त पात्र मुसहर जाति के परिवारों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या विलम्बतम एक माह के अन्दर यथामाध्यम शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक - यथोक्त</u>

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 04/2018/एम एस-36(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ।
3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त, मनरेगा, लखनऊ।
6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
9- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
9- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
10- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
11- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश ।
12- ग्राम्य विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।
13- गार्ड फाइल ।

संलग्नक -यथोक्त

आज्ञा से,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संदर्भ/समयबद्ध
संख्या- 20 आयोग/26-3-2018

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक- 22 जनवरी, 2018**

विषयः- प्रदेश के जनपदों में मुसहर जाति के परिवारों के सर्वे करने एवं पात्रता के आधार पर उन्हें अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के मुसहर जाति बाहुल्य जनपदों यथा- गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर सहित अन्य समस्त जनपदों में निवासरत मुसहर जाति के परिवारों का सर्वे करके उन्हें पात्रता के आधार पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं, उनके परिवारों को अन्त्योदय सूची में शामिल करने/पात्र गृहस्थी कार्ड (राशन कार्ड) निर्गत करने, पेंशन का लाभ व महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अनुमन्य कराने, विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने, पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगवाने एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1.	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
3.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	अधिशासी अभियन्ता, ऊर्जा विभाग	सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
6.	जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
7.	जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
8.	अपर जिला अधिकारी(वित्त एवं राजस्व)	सदस्य

2- उक्त समिति जनपदों में मुसहर जाति के परिवारों का सर्वे कर पात्रता के आधार पर एक माह के अन्दर उपरोक्त अनुमन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करायेगी और तदनुसार अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेगी।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।